

24/06/25

उपरोक्त पत्र 347 को मिल प्रार्थी के आदेश दिनांक 10/11/24 की पालना में ना तो संशोधित शीर्षक पेश किया है एवं ना ही लकी लेटु नोटिस पेश किया है। इससे प्रतीत होता है कि प्रार्थी स्वयं ही प्राप्त हो देखा करना चाहते हैं। अतः पत्रावली इन्हीं स्वरूप संशोधित शीर्षक व लकी अन्वय में जारी की जाती है। उम्ब पत्रावली के संलग्न पत्रावली सं. 141/22 की निष्पत्ति की जाती है। संभव से कृपया।

GCMR
2024/193
+
2022/423

आदेश सुनता गभा

उपखण्ड अधिकारी,
सूरतगढ़ (राज.)

